पत्र संख्या–न्याय / एस0एल0पी0 / 2024–25 / 1209 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1.अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज।
2.अपर आयुक्त ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, लखनऊ।

(वाद अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक :: 10 अक्टूबर, 2024

विषय– मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिग आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री आलोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता–5, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11.07.2024 **(प्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 05.07.2024 को प्रयागराज में आयोजित मीटिंग का कार्यवृत्त प्रेषित करते हुए प्रस्तर–3 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है –

3.Field officers are doing mistakes regularly in passing orders according to Act. The Learned Additional Chief Standing Counsel Shri Nimai Das and Shri Ankur Agarwal have requested that a video conference meeting should be organised on any non working day of Hon'ble Court with field officers of all zones to discuss the important issues faced during court proceedings.

बिन्दु संख्या–3 में मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निमाई दास तथा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा अवगत कराया गया है कि फील्ड आफीसर द्वारा निरन्तर आदेश पारित करते समय त्रुटि की जा रही है अतः मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में मीटिंग आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त मीटिंग के संबंध में अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 1980 दिनांक 28.09.2024 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.10.2024 समय अपराहन 04:00 बजे से समय 05:00 तक मीटिंग का समय प्रस्तावित किया गया है।

अतः दिनांक 18.10.2024 समय अपराहन 03:30 बजे से समय 04:00 तक कोर्ट केस माडयूल तथा समय 04:00 बजे से समय 05:00 तक Court proceedings विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जायेगा जिसमें समस्त जोनों के एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश तथा उनके समस्त अधिकारीगण, उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज/लखनऊ के समस्त अधिकारीगण, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद के समस्त अधिकारीगण तथा वाद अनुभाग के समस्त अधिकारीगण सम्मिलित होना सुनिश्चित करेगें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमर नाथ यादव)
अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2.अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन–नोएडा तथा समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उ0प्र0 को इस निर्देश से प्रेषित कि दिनांक 18.10.2024 को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों सहित सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

3.समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील/वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश से प्रेषित कि दिनांक 18.10.2024 को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों सहित सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

4.समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/कार्पो0सेल), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश से प्रेषित कि दिनांक 18.10.2024 को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों सहित सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

5.ज्वाइण्ट कमिश्नर (सर्वो0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, गाजियाबाद को इस निर्देश से प्रेषित कि दिनांक 18.10.2024 को आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों सहित सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

/ 6.संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 18.10.2024 समय अपराहन 03:30 बजे से समय 04:00 तक कोर्ट केस माडयूल तथा समय 04:00 बजे से समय 05:00 तक Court proceedings विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करते हुए उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

10.10.24

अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।